

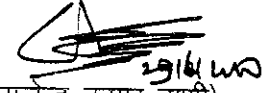
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1548/

जबलपुर दिनांक 30/06/2020

श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, (निलंबित) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के विरुद्ध अपने कर्तव्य से बिना सूचना/आवेदन के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थित रहने के आदी होने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवज्ञा कर अनुशासहीनता करने तथा पूरक आरोप पत्र अनुसार प्रोटोकॉल के वरिष्ठ कर्मचारी के विरुद्ध मिथ्या शिकायत करने एवं उनका रिकार्ड खराब कर उन्हें सर्विस से हटवाने की धमकी दिये जाने के आरोपों पर रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4339/दो-13-47/18, जबलपुर दिनांक 26.09.2019 द्वारा विभागीय जांच की गई। जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2019 में समस्त आरोप आपके द्वारा स्वीकार किये जाने से सिद्ध पाये जाने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक बी/6225/दो-13-47/18, जबलपुर दिनांक 17.12.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 07.01.2020 में भी त्रुटि स्वीकार करने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 13(तीन) के अंतर्गत आपकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करते हुए (With Cumulative Effect) रोकें जाने के दंड से दंडित करते हुये उनका निलंबन प्रतिसंहत (Revoke) किया जाता है, उन्हें निलंबन काल की अवधि में देय निर्वाह भत्ते के अलावा निलंबन काल की अवधि के वेतन एवं भत्ते की पात्रता नहीं होगी।



(राजेंद्र कुमार वाणी)

पर रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 30/06/2020

पृष्ठांकन क्रमांक C/1548

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. श्री डी.के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र.खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र.
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. श्री दिनेश सिंह, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय म.प्र.खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र.
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्था.)/पेंशन/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, (निलंबित) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(श्याम बिहारी वर्मा)

रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

पर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1550/

जबलपुर, दिनांक 30/06/2020

श्रीमती मृदुला दुबे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के विरुद्ध माह फरवरी में श्रीमती सीमा रावत पत्नी श्री श्रीकृष्ण रावत निवासी मुरार ग्वालियर से जिला एवं सत्र न्यायालय में भृत्य के पद पर नियुक्ति करवाने हेतु रुपये 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपये) लेने, नियुक्ति न करा पाने पर रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार) वापस करने, शेष राशि मांगे जाने पर डराने व मारने की धमकी देने तथा बैंक दिनांक 14.08.2018 अनादरित होने पर अपनी पुत्री के माध्यम से उन्हें डराने व धमकाने के आरोपों पर रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/3024/दो-13-52/18, जबलपुर दिनांक 01.07.2019 द्वारा विभागीय जांच की गई। जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2019 में आरोप पद क्रमांक-1 सिद्ध पाये जाने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक बी/5531/दो-13-52/18, जबलपुर दिनांक 08.11.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.02.2020 कारण बताओ नोटिस के अनुरूप न होने तथा अस्पष्ट होने के फलस्वरूप आपको श्रीमती सीमा रावत पत्नी श्री श्रीकृष्ण रावत निवासी मुरार ग्वालियर से जिला एवं सत्र न्यायालय में भृत्य के पद पर नियुक्ति करवाने हेतु रुपये 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपये) लेने की गंभीर त्रुटि कारित करने का दोषी पाते हुये, आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 13(तीन) के अंतर्गत आपकी आगामी देय तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करते हुए (With Cumulative Effect) रोकें जाने के दंड से दंडित किया जाता है।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)

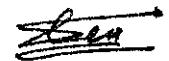
रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 30/06/2020

पृष्ठांकन क्रमांक C/1551/

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.
 2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 4. श्री प्रशांत पी. गाडे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र.
 5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 6. श्री दिनेश सिंह, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र.
 7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्था.)/पेंशन/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 10. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. श्रीमती मृदुला दुबे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

for